

2022/144

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

32

अदालत..... मुकाम.....
 34 (पुष्पाग्रिकारी) बनारस.....
 कमीठि वीर-पुत्र सन 5.6.2022
 कस्त मुकदमा..... नं. 108 RT 101

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
15/3/22	<p>पुष्पाग्रिकारी को जमानत देना के आदेश पेश हो। पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/3/22 को पेश हो</p> <p>रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बनारस</p>	
22/3/22	<p>डीजल कार्रवाई के आदेश पेश हो। पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/3/22 को पेश हो</p> <p>रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बनारस</p>	
18/3/22	<p>पुष्पाग्रिकारी को जमानत देना के आदेश पेश हो। पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/3/22 को पेश हो</p> <p>रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बनारस</p>	
22/3/22	<p>पुष्पाग्रिकारी को जमानत देना के आदेश पेश हो। पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/3/22 को पेश हो</p> <p>रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बनारस</p>	
9/11/22	<p>पुष्पाग्रिकारी को जमानत देना के आदेश पेश हो। पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/2/23 को पेश हो</p> <p>रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बनारस</p>	



तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

10/1/23 पंड. वादी उषा शिवदासिणी की अपील
 में जो अर्थात् - 13/1/23 को पंड.
 ने वादावधि पर विचार
 गवाह शिवराज हेतु कथार - वादी को
 हुक्म दि. 13/1/23 को पंड. को

21/6/23 प्रमाण आज एच^ड वादी द्वारा प्रस्तुत
 प्रमाणों के आधार पर नदीय रज
 नदी की गई। प्रमाणों द्वारा प्रमाणित
 पत्र पेश कर विवेक किया कि अब
 वादी अपना दावा करने वाली - पण्डित
 - वादी ही वाद - वादी ही एच पर
 खातिर विचार करने का विवेक किया।
 हमने पंड. वादी व एच^ड - वादी - को सुनाया।
 वादी को अपना दावा करने नहीं - पण्डित
 - वादी को वादी की पहचान - नदीय रज
 विवेकितकर पंडु वादी - ने ही - कर
 वाद - वादी एच^ड वादी के द्वारा प्रस्तुत
 प्रमाणों के आधार पर नदीय रज
 खातिर विचार गाना ही प्रमाणों के
 उक्त नदीय रज ही वाद - नदीय रज
 वादितर रज ही

नदीय रज
 अर्थात्
 हुक्म
 में

मान

पंड
 नदीय रज
 रज

उपखण्ड अधिकारी
 बयाना (भरतपुर)